





 उपकार  
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ  
सेवा चयन आयोग  
विधान भवन  
रक्षक एवं  
आग्निक/अग्निरक्षक  
मुख्य परीक्षा

सम्पादक मण्डल

उपकार प्रकाशन, आगरा



उपकार प्रकाशन

“Your Feedback,  
Our Guidance”



SCAN ME!

Scan and Share Your  
Experience With Us

© प्रकाशक

प्रकाशक

उपकार प्रकाशन

हेड ऑफिस : 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खंदारी आगरा-मथुरा, बाईपास, आगरा-282 005

रजि. ऑफिस : 2/11ए, स्वदेशी बीमा नगर (शाह सिनेमा के सामने), आगरा-282 002

फोन : 2530966, 2531101

E-mail : care@upkar.in, Website : www.upkar.in

ब्रांच ऑफिस

8-310/1, ए. के. हाउस,

हीरानगर, हल्द्वानी,

जिला—नैनीताल—263139 (उत्तराखण्ड)

मोबा. : 7060421008

- इस पुस्तक का सम्पूर्ण कॉपीराइट प्रकाशक के पास है. प्रकाशक से बिना लिखित अनुमति लिए, इस पुस्तक के किसी भी भाग को दोबारा बनाया नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं किया जा सकता या किसी भी तरह से, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी और माध्यम से नहीं भेजा जा सकता. ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और वह नुकसान के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा.
- इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी त्रुटि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा.
- किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल आगरा ही होगा.

ISBN : 978-93-6319-527-1

Code No. 2824

मुद्रक : उपकार प्रकाशन, (उपकार स्टेशनरी प्रा. लि.) बाईपास रोड, आगरा

# Contents

● सामान्य ज्ञान.....1-68	— देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश..... 9
— भारतीय इतिहास..... 3	— कृषि सम्बन्धित प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले वर्ष..... 10
— राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन..... 18	— पशुधन गणना 2019 : उत्तर प्रदेश..... 10
— भारत का भूगोल..... 28	— प्रमुख नगरों के उपनाम..... 10
— विश्व का भूगोल..... 41	— विशेष स्थल, पार्क, सिटी एवं केन्द्र..... 11
— भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान..... 48	— विविध महत्वपूर्ण तथ्य..... 12
— भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास..... 60	— उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएँ..... 12
● समसामयिकी.....1-16	— विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण..... 13
● विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.....1-32	— उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्रीय संस्थान/संगठन..... 14
— भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास..... 3	— उत्तर प्रदेश : राज्य मंत्रिपरिषद्..... 15
— भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग..... 4	— उत्तर प्रदेश : इतिहास के आइने में..... 16
— विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियाँ..... 5	— उत्तर प्रदेश : नदियाँ एवं झीलें..... 26
— प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण..... 6	— नदियाँ किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर... 28
— नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास..... 6	— उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाँध..... 28
— द्विअनुपयोगी प्रौद्योगिकियाँ..... 7	— उत्तर प्रदेश के प्रमुख जल प्रपात..... 28
— अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी..... 8	— उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें एक नजर में..... 29
— सूर्य मिशन..... 10	— उत्तर प्रदेश : जलवायु..... 30
— रक्षा प्रौद्योगिकी..... 12	— रेल परिवहन..... 31
— ऊर्जा स्रोत..... 15	— वायु परिवहन..... 32
— नैनो टेक्नोलॉजी..... 16	— जल परिवहन..... 32
— सूक्ष्म जीव विज्ञान..... 17	— दूर संचार..... 33
— मानव जीवन में सूक्ष्मजीवों का महत्व..... 17	— उत्तर प्रदेश : ऊर्जा संसाधन..... 33
— जैव प्रौद्योगिकी..... 18	— उत्तर प्रदेश : खनिज संसाधन..... 34
— बौद्धिक सम्पदा अधिकार..... 18	— उत्तर प्रदेश : मृदा संरचना..... 34
— बौद्धिक सम्पदा अधिकार और डिजिटल चुनौतियाँ..... 19	— उत्तर प्रदेश : कृषि एवं पशुपालन..... 35
— वस्तुनिष्ठ प्रश्न..... 20	— उत्तर प्रदेश : औद्योगिक परिदृश्य..... 38
● पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबन्धन.....1-24	— उत्तर प्रदेश : शिक्षा एवं स्वास्थ्य..... 43
● भारत में खेल.....1-32	— उत्तर प्रदेश : कला एवं संस्कृति..... 46
● कम्प्यूटर ज्ञान.....1-24	— चित्रकला एवं मूर्तिकला..... 47
● उत्तर प्रदेश : सामान्य जानकारी.....1-64	— संगीत कला..... 48
— प्रथम एवं सर्वाधिक बार नियुक्ति..... 4	— प्रदेश के प्रमुख घराने..... 48
— उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना..... 5	— प्रदेश के प्रमुख वादक..... 49
— उत्तर प्रदेश की जनगणना..... 6	— प्रदेश के प्रमुख लोकनृत्य (नाट्य कला)..... 49
— वन एवं वन्यजीव संरक्षण..... 7	— प्रदेश के प्रमुख लोकगीत..... 50
— भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023..... 8	— प्रदेश के प्रमुख मेला/महोत्सव..... 50
— उत्तर प्रदेश के रामसर भूमि स्थल..... 9	— उत्तर प्रदेश : ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल... 51
● उत्तर प्रदेश : वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान.....1-16	— उत्तर प्रदेश : अनुसूचित जनजातियाँ..... 55
	— उत्तर प्रदेश बजट 2026-27..... 55
	— उत्तर प्रदेश : समसामयिक घटनाएँ..... 57

# General Information

- **अनिवार्य अर्हता ( शैक्षिक ) एवं अधिमानी अर्हता**

**अनिवार्य अर्हता ( शैक्षिक )**—उत्तर प्रदेश सचिवालय सुरक्षा और अग्निशमन सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-2007, द्वितीय संशोधन-2009, तृतीय संशोधन-2014, चतुर्थ संशोधन-2015 एवं पंचम संशोधन-2023) के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन आग्निक/अग्निरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

**अधिमानी अर्हता**—उत्तर प्रदेश सचिवालय सुरक्षा और अग्निशमन सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-2007, द्वितीय संशोधन-2009, तृतीय संशोधन-2014, चतुर्थ संशोधन-2015 एवं पंचम संशोधन-2023) के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

- **आयु-सीमा**

उत्तर प्रदेश सचिवालय सुरक्षा और अग्निशमन सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-2007, द्वितीय संशोधन-2009, तृतीय संशोधन-2014, चतुर्थ संशोधन-2015 एवं पंचम संशोधन-2023) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में विधान भवन रक्षक पद एवं विधान भवन आग्निक/अग्निरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाएं, जुलाई के प्रथम दिवस को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो—

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाएं।

परन्तु अग्रतर यह कि छंटनीशुदा कर्मचारी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में छूट, उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) अधिनियम, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगी।

● **चयन का आधार**

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015 /857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक-11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक-31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक- 20-11-2020 द्वारा अपनायी गई नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय सुरक्षा और अग्निशमन सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-2007, द्वितीय संशोधन-2009, तृतीय संशोधन-2014, चतुर्थ संशोधन-2015 एवं पंचम संशोधन-2023) के अनुसार किया जाएगा, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा हेतु शासन के पत्र संख्या-685/47-का-3-2025, दिनांक- 13-11-2025 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न है। परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा।

● **शारीरिक मानदण्ड व शारीरिक दक्षता परीक्षा**

**शारीरिक माप परीक्षण**—उत्तर प्रदेश सचिवालय सुरक्षा और अग्निशमन सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-2007, द्वितीय संशोधन-2009, तृतीय संशोधन-2014, चतुर्थ संशोधन-2015 एवं पंचम संशोधन-2023) के भाग-4 नियम-13 (परिशिष्ट 'ख') के अनुसार विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन आगिनक/अग्निरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित शारीरिक स्वस्थता के मानक की अपेक्षा की जाएगी—

1. **पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक—**

**ऊँचाई**

- (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर।
- (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर।

**सीना**

- (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए फुलाने पर 84 सेन्टीमीटर न्यूनतम ।
- (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए फुलाने पर 82 सेन्टीमीटर न्यूनतम।

**नोट**—न्यूनतम 5 सेन्टीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।

2. **महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक—**

**ऊँचाई**

- (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर।
- (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

वजन-45 से 58 किलोग्राम।

**नोट**—उक्त शारीरिक माप परीक्षण (शारीरिक स्वस्थता के मानक) अर्हकारी प्रकृति का है तथा चयन का आधार लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा के आधार पर शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु उक्त परीक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें उक्त अर्हकारी शारीरिक स्वस्थता के मानक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

### परीक्षा योजना

लिखित परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् ¼ होगी।

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
<b>भाग-1</b>	1. भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन	10	10	<b>दो घण्टा ( 120 मिनट )</b>
	2. भारत एवं विश्व का भूगोल	05	05	
	3. भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास	05	05	
	4. भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान	10	10	
	5. सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	10	10	
	6. पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबन्धन	10	10	
	7. भारत में खेल	05	05	
	8. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ	10	10	
<b>भाग-2</b>	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
<b>भाग-3</b>	उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी	20	20	
	<b>योग</b>	100	100	